न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **181/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/412

1. श्रीमती राधाबाई पुत्री तेजा पत्नी नाथु डांगी निवासी महाराज की खेडी तहसील वल्लभनगर।

............वादीया

बनाम्

1. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. श्री राजेश पिता बृजभुषण त्रिपाठी निवासी 194 ब्लोक 14 उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीया।
2. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादी संख्या 1,2

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.01.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1821, 1824 से 1828, 1832, 1833, 1835 से 1838, 1840, 1842, 1843, 2590 से 2593 किता 19 कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1913 से 1917 किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1822, 1823, 1829, 1830, 1841 किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मूल पुरूष देवा जी डांगी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी देवा जी के देहावसान हो जाने के उपरान्त देवा जी विधिक के वारिस मोती, भगवान, हिरा व तेजा के नाम पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में विरासत से दर्ज हुई हैं। कालान्तर में हीरा पिता देवा जी के ला–औलाद फौत हो जाने से हीरा पिता देवा जी के हिस्से की जमीन उनके तीन भाई मोती, भगवान व तेजा के नाम पर दर्ज हुई, तेजा की मै वादीया जायन्दा संतान होने से [illegible] हुई जमीन मेरे नाम पर विरासत से दर्ज हुई। उक्त वर्णि[illegible] मेरे नाम पर विरासत से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

होने के उपरान्त मुझ वादीया का नाम नकल जमाबन्दी में राधा पिता तेजा जी का नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज था। कुछ भूमि दलालो ने मेरे मिलने जुलते नाम की महिला को लाकर मेरे नाम दर्ज जमीन का पंजीयन दिनांक 07.04.16 को कर दिया। उक्त विक्रय पत्र निरस्ती का एक वाद मुझ वादीया श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जी मावली के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 82/22 ई.दी. है जो गुणावगुण के उपरान्त दिनांक 22.03.24 को न्यायालय द्वारा आदेशित होकर विक्रय पत्र को फर्जी मानते हुए शुन्य घोषित कर दिया जिस कारण विक्रय पत्र धारक के किसी भी खातेदारी अधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजीयात में नहीं रहते हैं।

3. यह कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2024 में उपरोक्त वाद वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 07.07.16 को शून्य घोषित कर दिया गया था जिसकी पालना हेतु मैने प्रतिवादीयागणों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु राजस्व रिकार्ड में मुझ वादीया को खातेदारी अधिकार से दर्ज करने से मना कर दिया। यह कि वाद वर्णित भूमि मुझ वादीया को मेरे पिता तेजा जी डांगी के विधिक वारिस होने की हैसियत से विरासत से प्राप्त हुई है, कुछ भूमि दलालो द्वारा मेरे हिस्से की भूमि जो दिनांक 07.04.2016 को निष्पादित फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर जो खातेदारी अधिकार मुझ वादीया को मिलने चाहिए थे उस अधिकारो से मुझे वंचित होना पड रहा है दिनांक 07.04.2016 को निष्पादित विक्रय पत्र माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जी मावली द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। विक्रय पत्र शून्य घोषित हो जाने से मै वादीया उक्त भूमि में अपना नाम 1/24 वे हिस्से की भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मुझ वादीया का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित जमीन में अपना नाम 1/24 वे हिस्से की भूमि पर मुझ वादीया उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ वादीया के पक्ष में है। इसलिए मै वादीया उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने के अधिकारी हूं।

5. यह कि प्रतिवादीयागण को दिनांक 15.08.2024 को मुझ वादीया द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात को मेरे नाम [illegible] हेतु कहा तो प्रतिवादीयागण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वाद कारण दिनांक 15.08.2024 को पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मुझ वादीया को मेरे पिता तेजा जी डांगी के विधिक वारिस होने की हैसियत से प्राप्त हुई है विक्रय पत्र के निरस्त हो जाने से प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार हक से हटाकर मुझ वादीया का नाम 1/24 वे हिस्से से राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा जवाब पेश नही करने से तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीया के तहत वादीया स्वयं का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज मौजा गुडली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 24, 28, 679 प्रदर्श 1 से 3, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मावली जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 82/22 राधाबाई बनाम राजेश में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22. 03.2024 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4, विक्रय पत्र दिनांक 07.04.2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 5 करवाए गए।

8. अधिवक्ता वादीया व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादीया व राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1821, 1824 से 1828, 1832, 1833, 1835 से 1838, 1840, 1842, 1843, 2590 से 2593 किता [illegible] कुल [illegible]कबा 35 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1913 से 1917 किता 5 कुल र[illegible] 17 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pumadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1822, 1823, 1829, 1830, 1841 किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादीया का 1/24 हिस्सा निहित था जो प्रदर्श 5 के आधार पर विक्रय के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज हुआ। प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य करवाने हेतु वादीया द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मावली जिला उदयपुर में वाद प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 82/22 ई.दी. राधाबाई बनाम राजेश हैं। उक्त वाद में पारित निर्णय प्रदर्श 4 अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को वादीया के हक अधिकारों के प्रति शून्य घोषित किया गया साथ ही राजेश पिता बृजभूषण त्रिपाठी जो इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 है को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है कि वादपत्र में वर्णित भूमि में वादीया के हिस्से में कोई दखलन्दाजी नहीं करें और इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 5 के तहत् अंकित हुआ था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.03.2024 से शून्य घोषित कर दिया गया हैं। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्तमान में वादीया के मुकाबले अस्तित्व में नही हैं। अतः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामान्तरकरण भी स्वतः अवैद्य हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करते ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्ववत् स्थिति बहाल करते हुए वादीया का नाम अंकित करना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं कर भारी भूल की गई हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी नम्बर 1821, 1824 से 1828, 1832, 1833, 1835 से 1838, 1840, 1842, 1843 किता 15 कुल रकबा 4.8886 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का हकदार घोषित किया जाता है। शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

खाता बदस्तूर रहेगा, इसी प्रकार खाता संख्या 23 पर दर्ज आराजी नम्बर 1913 से 1917 किता 5 कुल रकबा 2.8571 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा, इसी प्रकार खाता संख्या 679 पर दर्ज आराजी नम्बर 2590, 2591, 2592, 2593 किता 4 कुल रकबा 0.9307 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा एवं खाता संख्या 24 पर दर्ज आराजी नम्बर 1822, 1823, 1829, 1830, 1841 किता 6 कुल रकबा 1.4813 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. श्रीमती राधाबाई पुत्री तेजा पत्नी नाथु डांगी निवासी महाराज की खेडी तहसील वल्लभनगर।

............वादीया

बनाम्

1. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. श्री राजेश पिता बृजभुषण त्रिपाठी निवासी 194 ब्लोक 14 उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>मुकदमा न0 : 181/24 (वाद) GCMS No. – 2024/412</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी नम्बर 1821, 1824 से 1828, 1832, 1833, 1835 से 1838, 1840, 1842, 1843 किता 15 कुल रकबा 4.8886 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा, इसी प्रकार खाता संख्या 23 पर दर्ज आराजी नम्बर 1913 से 1917 किता 5 कुल रकबा 2.8571 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा, इसी प्रकार खाता संख्या 679 पर दर्ज आराजी नम्बर 2590, 2591, 2592, 2593 किता 4 कुल रकबा 0.9307 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा एवं खाता संख्या 24 पर दर्ज आराजी नम्बर 1822, 1823, 1829, 1830, 1841 किता 6 कुल रकबा 1.4813 हेक्टेयर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 राजेश पिता बृजभूषण के नाम 1/24 हिस्सा दर्ज हैं के बजाय वादीया राधाबाई पुत्री तेजा को 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:36 IST
Reason: SelfAttested